क्रम सं० · 110 दि० - 10/9/25

Registration no: (221128720218120083268-2025-2026) Date: (10-09-2025) Valid till: (10-9-2028)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | SAMASTIPUR

शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL

VILL+POST- KHAIRI,KHANPUR,SAMASTIPUR-848117

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 31-05-2025 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 10-09-2025 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL, VILL+POST- KHAIRI,KHANPUR,SAMASTIPUR-848117, KHAIRI, 848117 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 10-09-2025 से 10-9-2028 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उध्दत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(Vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(Vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(Viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 136.35 डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 136.35 डिसमिल

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- PLAYGROUND, SMART CLASS, COMPUTER LAB,COMPOSITE LAB, LIBRARY, RO WATER, FIRE SAFETY

(iV) वर्ग कक्षों कीं कुल संख्या :- 19

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 3

(Vi) बालक तथा बालिकाओं क़े लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 3 , Girls 2

(Vii) पेयजल की सुविधा :- 3

(Viii) मध्याह्न भोजन क़े लिये रसोई घर :- 0

(IX) बाधारहित पहुँच,[ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- COMPUTER, MAP, GLOBE , CHART PAPER, SMART BOARD, SMART TV, MUSICAL INSTRUMENTS, GREEN BOARD, WHITE BOARD , CHALK,PROJECTOR,PRINTER , CRICKET KIT, BADMINTON KIT, FOOTBALL KIT, CHESS, CAROM, LUDO, BASKET BALL , (Y , 800 , NewsPaper MagaZine:- 50)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [221128720218120083268-2025-2026, 2025] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते

विश्वासभाजन
ह० /-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, SAMASTIPUR
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर

संभाग : समग्र शिक्षा
शिक्षा भवन, तिरहुत एकेडमी विद्यालय के निकट,
काशीपुर, समस्तीपुर–848101
E-mail - bepssasamastipur@gmail.com

बिहार सरकार

पत्रांक : BEP/ RTE/47/2021-22/ मिल -2018

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0 शि0 एवं सर्व शिक्षा अभि0
समस्तीपुर।

सेवा में,

प्राचार्य,
ज्ञानस्थली इंटरनेशनल स्कूल,
खानपुर, समस्तीपुर।

समस्तीपुर, दिनांक 27/06/2025

विषय : प्रस्वीकृति अवधि के विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके विद्यालय की प्रस्वीकृति संख्या 221128720218120083268 जिसकी अवधि दिनांक 01.08.2021 से 01.08.2024 तक थी, जिसके समाप्त होने के उपरांत आपके द्वारा विद्यालय की प्रस्वीकृति अवधि के विस्तार हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया, जिसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लॉग इन में अग्रसारित किया जा चुका है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आपके विद्यालय के भौतिक जाँच उपरांत जिले के लॉग इन में आवेदन को अग्रसारित किया गया है।

अतः निजी विद्यालयो की जिला स्तरीय प्रस्वीकृति समिति की बैठक में निर्णयोपरांत प्रस्वीकृति अवधि विस्तार हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

Sd/- 27/6/25

(मानवेन्द्र कुमार राय)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0 शि0 एवं सर्व शिक्षा अभि0,
समस्तीपुर।

Sd/- 27/6/25

Rishikesh Ranjan
MANAGER
GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL
KHAIRI, KHANPUR, SAMASTIPUR

Amit Kumar
Principal
Gyansthali International School
Khairi Khanpur Samastipur

स्वघोषणा -प्रपत्र (221128720218120083268-2025-2026)

क.	विद्यालय विवरण	
1.	विद्यालय का नाम	GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL
2.	शैक्षणिक सत्र	2025-2026
3.	जिला :	SAMASTIPUR
4.	पत्राचार का पता	VILL+POST- KHAIRI,KHANPUR,SAMASTIPUR-848117
5.	गाँव / नगर	KHAIRI
6.	प्रखण्ड	Khanpur
7.	पिन कोड	848117
8.	दूरभाष संख्या एस0 टी0 डी0 कोड के साथ	
9.	फैक्स नं0	
10.	ईमेल पता (यदि कोई हो)	gissamastipur@gmail.com
11.	नजदीकी पुलिस स्टेशन	KHANPUR
12.	Udise Code	10194100066

(ख)	सामान्य सूचनाएँ	
1	स्थापना का वर्ष	2021
2	पहली बार विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि	01 Aug 2021
3	ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति का नाम	SHRI SHATRUDHAN MEMORIAL FOUNDATION
4	क्या ट्रस्ट /सोसाएटी / प्रबंधन समिति निबंधित है ?	Yes
5	क्या ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति के निबंधित की वैधता अवधि	31 Mar 2099
6	क्या ट्रस्ट / सोसाएटी / प्रबंधन समिति के गैरमालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की संपुष्टि हेतु सदस्यों की सूचि पता के साथ शपथ-पत्र के रूप में संलगन है ?	Yes
7	विद्यालय के चेयरमैन /प्रेसीडेंट . मैनेजर के कार्यालय का पता :-	
	नाम	RISHIKESH RANJAN
	पद नाम	DIRECTOR
	पत्ता	KHAIRI KHANPUR SAMASTIPUR
	दूरभाष	7033180874
8	अंतिम तीन वर्षो के कुल आय एवं व्यय(बचत/ घाटा)	

वर्ष	आय	व्यय	अभियुक्ति
8	2158032.00	2144290.00	Excess of Income over Expenditure 13742
9	2350032.00	2305633.00	Excess of Income over Expenditure 44399
10	2966120.00	2768239.00	Excess of Income over Expenditure 197881

(ग)	विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र :-	
1	शिक्षण का माध्यम	English

Rishikesh Ranjan

MANAGER
GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL
KHAIRI, KHANPUR, SAMASTIPUR

Amit Kumar.
Principal
Gyansthali International School
Khairi Khanpur Samastipur

	विद्यालय का प्रकार(प्रवेश एवं निकास की कक्षाए अंकित करे)	Nursery
3	यदि सहायता प्राप्त है तो सहायता प्रदत करने वाली एजेंसी का नाम एवं सहायता का प्रतिशत	
4	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है ?	No
5	यदि हाँ तो किस प्राधिकार द्वारा. निबंधित संख्या	NA
6	क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है ?	Y
7	क्या विद्यालय के भवन/ अन्य आधारभूत संरचनाएं / मैदान केवल शिक्षा और कशल के लिए वप्ह्युत की जाती है ?	No
8	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	136.35
9	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या-क्या सुविधाएँ है ?	PLAYGROUND, SMART CLASS, COMPUTER LAB,COMPOSITE LAB, LIBRARY, RO WATER, FIRE SAFETY

(घ.) नामांकन स्थिति :-

वर्ग	सेक्ससन की संख्या	विधार्थियों की संख्या
पूर्व प्राथमिक	3	120
1-5	8	200
6-8	3	25

(च.) अधार भूत संरचना का ब्योरा एवं स्वच्छता की स्थिति :-

कक्ष	संख्या	औसत आकार
वर्गकक्ष	19	500 SQ FEET
कार्यालय कक्ष-सह-भंडार, कक्ष-सह प्रधानाध्यापक कक्ष	3	400 SQ FEET
रसोईघर-सह-भंडार	0	0

(छ) अन्य सुविधाएँ :-

1.	क्या सभी सुविधाएँ अवरोधरहित पहुँच के अन्तर्गत है	Yes
2.	शिक्षण अधिगम सामग्री (सूचि संलग्न करें)	COMPUTER, MAP, GLOBE , CHART PAPER, SMART BOARD, SMART TV, MUSICAL INSTRUMENTS, GREEN BOARD, WHITE BOARD , CHALK,PROJECTOR,PRINTER
3.	खेलकूद सामग्री (सूचि संलग्न करें)	CRICKET KIT, BADMINTON KIT, FOOTBALL KIT, CHESS, CAROM, LUDO, BASKET BALL
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा (हाँ /नहीं)	Yes
1.	पुस्तकों की संख्या	800
2.	पत्रिकाएँ /समाचार पत्र की संख्या	50
5.	पेयजल की सुविधा के प्रकार एवं संख्या	3
6.	सवच्छता की स्थिति	
क.	डब्लू सी और मूत्रालय का प्रकार	Both Indian and Western

MANAGER
GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL
KHAIRI KHANPUR SAMASTIPUR

Amit Kumar
Principal
Gyansthali International School
Khairi Khanpur Samastipur

ख.	बालको के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	3
ग .	बालिकाओं के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	2

(ज) शिक्षकों का ब्योरा :-

शिक्षक का नाम	पिता /पति /पत्नी का नाम	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	व्यवसायिक योग्यता	शैक्षणिक अनुभव	किस वर्ग के शिक्षक	नियुक्ति की तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित	क्या आप प्रधान शिक्षक हैं
RITURAJ	VIJAY KUMAR AMBASTHA	04 Mar 1993	Graduation	B.ED	4	6-8	01 Aug 2021	Trained	No
MAYANK KUMAR DUBEY	JAY PRAKASH DUBEY	15 Jul 1988	Graduation	B.ED	2	6-8	01 May 2023	Trained	No
PRABHAT KUMAR PRABHAKAR	MANJAY LAL SINGH	03 Feb 1994	Graduation	B.ED	4	1-5	01 Aug 2021	Trained	No
PRITI KUMARI	RAKESH KUMAR SINGH	05 Jan 1992	Graduation	B.ED	1	1-5	01 Apr 2024	Trained	No
GOLU KUMAR	KISHUNI ROY	10 Feb 2001	Inter	D.LED	3	1-5	01 Nov 2022	Trained	No
RUPIKA KUMARI SINGH	SUMAN KUMAR SINGH	06 Sep 1985	POST GRADUATION	D.LED	2	1-5	03 Apr 2023	Trained	No
AMIT KUMAR	RAM BAHADUR SINGH	08 Jul 1984	POST GRADUATION	B.ED	2	6-8	01 Apr 2023	Trained	Yes
POOJA DUBEY	JAY PRAKASH DUBEY	23 Jul 1990	Graduation	B.ED	4	6-8	01 Aug 2021	Trained	No
MONI KUMARI	ABHISEK RANJAN	25 Mar 1995	Graduation	D.LED	4	1-5	01 Aug 2021	Trained	No
ARCHANA KUMARI	KAUSHAL KUMAR MAHTO	25 Mar 1993	Graduation	D.LED	1	1-5	01 Feb 2025	Trained	No
RUPIKA KUMARI SINGH	SUMAN KUMAR SINGH	06 Sep 1985	POST GRADUATION	D.LED	2	1-5	03 Apr 2023	Trained	No

(झ.) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या :-

1	पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का विवरण जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है। (वर्ग 8 तक)	NCERT
2	छात्रों के आकलन की पद्धति	PERIODIC TEST, QUATERLY EXAM AND ANNUAL EXAM
3	क्या विधालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है।	No

ट. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डाएस) में भी समर्पित किया गया है।

Rishikesh Payn
MANAGER
GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL
KHAIRI KHANPUR SAMASTIPUR

Amit Kumar
Principal
Gyansthali International School
Khairi Khanpur Samastipur

ठ.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है।
ड.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय मानव संसाधन विकास विभाग, द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले प्रतिवेदन और सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा एवं उचित प्राधिकार द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा उनका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के निधारिंत मापदंड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप कमियो को दुर करने हेत निरंतर प्रयास करेगा।
ढ.	प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवष्यक अभिलेख वैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा जिससे केन्द्र स्थानीय निकाय या प्रषासन को संसद/राज्य के विधान सभा/ पंचायत /नगर निगम (जो लागु हो) के प्रति जवाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा।

MANAGER
GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL
KHAIRI, KHANPUR, SAMASTIPUR

Amit Kumar
Principal
Gyansthali International School
Khairi Khanpur Samastipur

Registration no: (221128720218120083268) Date: (01-08-2021) Valid till: (1-8-2024)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | SAMASTIPUR

शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0

शिक्षा केंद्र , 2 कम्यूनिटी सेंटर 0

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 01-08-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL, VILL+POST- KHAIRI,KHANPUR,SAMASTIPUR-848117, KHAIRI, 848117 . कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 01-08-2021 से 1-8-2024 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीक ति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा ।

(VII) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

Rishikesh Ranjan
MANAGER
GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL
KHAIRI, KHANPUR, SAMASTIPUR

Amit Kumar
Principal
Gyansthali International School
Khairi Khanpur Samastipur

(I) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 136.35

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 136.35

(III) खेल के मैदान क क्षेत्र :- PLAYGROUND,RO WATER,CANTEEN,LUSH GREEN GARDENS.

(IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 16

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 3

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 10 , Girls 4

(VII) पेयजल की सुविधा :- 8

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(IX) बाधारहित पहुँच,[ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकस्य पुस्तकालय :- 1. Computer Lab. 2. Smart Class. 3. Library. 4. Software based evaluation. 5. Laboratory. 6. Smart board. 7. Chalk /White board. 8. Notice board. 9. Map/Globes. 10. Overhead projector 11. Cctv. 12. Seminar hall. 13. All Teaching related S , Outdoor games ? Cricket ground (Bat/Ball). ? Football ground. ? Badminton court. ? Volleyball court. ? Kabaddi court. ? Tennis court. Indoor Games ? Ludo ? Carrom board ? Chess. ? Table tennis. ? Kinder Garden Playing Material. , (Y , 750 , NewsPaper MagaZine:- 3)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [221128720218120083268, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

MKRoy
20/04/22
विश्वासभाजन
ह० /-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, SAMASTIPUR
सह-सचिव प्रस्वीकृत समिति
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

Manvendra Kumar Roy
DPO, EE & SSA, Samastipur

NOC LETTER

Rishikesh Kumar
MANAGER
GYANSTHALI INTERNATIONAL SCHOOL
KHAIRI, KHANPUR, SAMASTIPUR

Amit Kumar
Principal
Gyansthali International School
Khairi Khanpur Samastipur